

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - [nivaman.mpsamb@gmail.com](mailto:nivaman.mpsamb@gmail.com)

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./Rich Farms Agro/719/ 38

भोपाल, दिनांक 08/04/2024

प्रति,

**Rich Farms Agro Exports,**  
Plot No. 21-22, Kiraipur Industrial Area.  
Itarsi District Narmadapuram (MP) - 461111

विषय :- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञासि) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन विशेष अनुज्ञासि के संबंध में।

संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 18/12/2023।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 32-क के अधीन निर्मित नियम मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञासि) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के विशेष अनुज्ञासि स्वीकृति हेतु Rich Farms Agro Exports से संदर्भित आवेदन प्राप्त हुआ है।

संदर्भित आवेदन के माध्यम से निम्न विनिर्दिष्ट मंडियों के क्षेत्रान्तर्गत अधिसूचित कृषि उपज "धान्य तथा दलहन" के अंतर्गत धान का कारोबार करने हेतु क्रय केंद्र स्थापना की अनुमति हेतु विशेष अनुज्ञासि स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है-

क्र	मंडी समिति का नाम	क्रय की जाने वाली कृषि उपज का समूह
1	नर्मदापुरम	"धान्य तथा दलहन"
2	बाबई माखन नगर	"धान्य तथा दलहन"

3. आवेदन पर विचारोपरांत Rich Farms Agro Exports को नियम 2009 के तहत उक्त बिंदु 2 में अंकित मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञासि स्वीकृत करने का विनिश्चय किया गया है। विशेष अनुज्ञासि प्रमाण पत्र एवं संलग्नक प्रसारित किया जा रहा है। संलग्नक में अनुमोदित क्रय केंद्रों की सूची संलग्न है जोकि उक्त विशेष अनुज्ञासि का भाग होगी। उक्त सभी क्रय केंद्रों को सम्मिलित कर अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम क्रय मात्रा के संबंध में नियम 2009 की कंडिका 4(2) के प्रावधान लागू रहेंगे।

4. क्रय केंद्र स्थापना के संबंध में नियम 8(6) तथा नियम 8(7) के प्रावधान लागू होंगे तथा इसमें नियम 10(1) अनुसार शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

*mark*

5. अधिनियम, नियम, उपविधि, के प्रावधानों तथा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर कार्य करने के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना बंधनकारी होगा।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

*०५/०५/२५*

(श्रीमन् शुक्ला)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त  
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

क्र./बोर्ड/नियमन/वि.अनु./Rich Farms Agro/719/३१

भोपाल, दिनांक ०८/०५/२०२४

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय \_\_\_\_\_ (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुज्ञासिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाए। आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मंडी समिति को दी जाए।

2. सचिव कृषि उपज मंडी समिति \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_, म. प्र. (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. सहायक संचालक (आईटी शाखा), म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञासिधारी Rich Farms Agro Exports को स्वीकृत विशेष अनुज्ञा (अद्यतन) की ई-अनुज्ञा पोर्टल मे आवश्यक प्रविष्टि की जाए।

*dr*

प्रबंध संचालक सह आयुक्त  
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

## प्ररूप - तीन

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय

किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

विशेष अनुज्ञासि क्रमांक/एस.एल./2024/40 दिनांक 08/05/2024

(एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार के लिए विशेष अनुज्ञासि)

**1 Rich Farms Agro Exports, Plot No. 21-22, Kiratpur Industrial Area, Itarsi District Narmadapuram (MP) – 461111** को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार हेतु तारीख ..... 08 माह..... 3 प्रल वर्ष 2024 को विशेष अनुज्ञासि अनन्तिम रूप से दी जाती है :-

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञासि स्वीकृत / ज्ञावीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञासि प्रदान की गई है।	संबंधित मण्डी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम, एवं पता
<b>संलग्न सूची-परिशिष्ट-1</b>						

2. इस अनुज्ञासि के अधीन अनुज्ञासिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष में समस्त क्रय केन्द्रों में मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करें:

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मे0टन में {नियम 4 (2) देखिए})
1	“धान्य तथा दलहन”	नियम 4(2) अनुसार

3. अनुज्ञासिधारी, इस अनंतिम अनुज्ञासि के दिये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा:-

- इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
- मेयजल की समुचित व्यवस्था
- समुचित प्रकाश व्यवस्था
- पुरुष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा
- शेड की व्यवस्था
- कृषकों के लिये छायादार विश्राम स्थल
- भुगतान काउन्टर
- टेक्टर ट्राली की पार्किंग की समूचित व्यवस्था
- नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति
- प्रधेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीव्ही कैमरे स्थापना।
- क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण।

यह विशेष अंनतिम अनुज्ञासि दिनांक 08/04/2024 से 07/04/2025 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रद्द की जा सकेगी।

5. यह अंनतिम अनुज्ञासि निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रद्द की जा सकेगी:-
- (एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,
  - (दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर,
  - (तीव्र) मण्डी फीस का अपवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,
  - (चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर,
  - (पाँच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियों प्रस्तुत न करने पर,
  - (छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,
  - (सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर



अधिसूचित प्राधिकारी / अधिकारी

प्रबंध सचिव सह आयुक्त  
मध्यसूचित प्रधिकारी / अधिकारी  
प्रबंध सचालक  
म.प्र. राज्य कृषि विवरण बोर्ड,  
भोपाल (म.प्र.)

6504/24

Ch Farms Agro Exports,  
Plot No. 21-22, Kiratpur Industrial Area,  
Harsai District Narmadapuram (MP) - 461111

विशेष अनुज्ञाति क्रमांक/एस.एल./2024/40 दिनांक ०८/०५/२०२४

क्रय केंद्र सूची :-

अनु. क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञाति स्वीकृत/ नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञाति प्रदान की गई है।	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुगोदित क्रय केंद्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	2	3	4	5	6	7
1	“धान्य तथा दलहन”	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	-	-	श्री शीतल चौहान मो.नं.- 9893540316
2	“धान्य तथा दलहन”	बाबई माखननगर	बाबई माखननगर	-	-	श्री संजय नामदेव मो.नं.- 7987304478

प्रबंध संचालक सह आयुक्त  
अधिसूचित क्रय कृषि विपणन बोर्ड  
प्रबंध क्षेत्रालय  
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल (म.प्र.)